कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/ 8085 रायपुर, दिनांक 25/07/2017

प्रति, तत्काल

समस्त प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन
छत्तीसगढ़

विषय- तेन्दूपत्ता विक्रय पर जी.एस.टी के संबंध में।
संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/7535 दिनांक 12.07.2017

--00--

संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसमें तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनोपज के विक्रय पर अधिरोपित जी.एस.टी के दर के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में आपके द्वारा तेन्दूपत्ता व्यापारी एवं विनिर्माताओं से जी.एस.टी वसूल करने एवं माल का परिदान देने संबंधी जानकारी चाही गई है।

तत्संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा उल्लेखित दर 18 प्रतिशत की दर से व्यापारी / विनिमार्ताओ से निर्देशानुसार जी.एस.टी वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राप्त जी.एस.टी हेतु संबंधित व्यापारी / विनिर्माताओं को आपके द्वारा Invoice जारी किया जावेगा। **(Invoice का प्रारूप परिशिष्ट-01 संलग्न है)** ध्यान रहे Invoice परिदान आदेश जारी करने के साथ-साथ व्यापारी / विनिर्माताओं को उपलब्ध कराया जावेगा। Invoice तीन प्रतियों में संधारित होगा जिसमे एक प्रति संघ कार्यालय एक प्रति संबंधित व्यापारी को तथा एक प्रति कार्यालयीन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा।

Invoice में Invoice नम्बर जिला यूनियन के कोड के साथ दर्ज किया जावेगा। संघ मुख्यालय द्वारा जारी प्रत्येक जिला यूनियन हेतु कोड निर्धारित किया गया है। **(कोड परिशिष्ट-02 संलग्न है)** उदाहरणार्थ बीजापुर जिला यूनियन हेतु कोड JDBIJ / Invoice No में कोड के स्थान पर दर्ज होगा इसी प्रकार अन्य जिला यूनियन भी सूची में उल्लेखित कोड को अंकित करेगे। इसके साथ ही जिला यूनियन द्वारा वित्तीय वर्ष में जारी किये जाने वाला पहला Invoice है तो Invoice नम्बर JDBIJ/17-18/001 लिखा जावेगा यदि जारी किये जाने वाला 15 वां है तो Invoice नम्बर JDBIJ/17-18/015 लिखा जावेगा।

Invoice जारी करने के पूर्व Invoice में प्रत्येक व्यापारी / विनिर्माता से जी.एस.टी विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी.एन नम्बर प्राप्त कर Invoice में सही-सही अंकित किया जाना अनिवार्य है।

विक्रय मूल्य एवं अधिरोपित जी.एस.टी की गणना के लिए संलग्न Invoice स्वमेव स्पष्ट है। संदर्भित पत्र द्वारा जी.एस.टी गणना हेतु दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार गणना कर जी.एस.टी की राशि वसूल करे।

1. कर योग्य वस्तु / सेवा में विक्रय मूल्य उस पर 03 प्रतिशत वन विकास उपकर, पुर्नजीवन शुल्क, अवधि वृद्धि शुल्क, गोदाम किराया, ब्याज की राशि, हस्तातंरण शुल्क आदि सम्मिलित होगा।

2. Invoice में उल्लेखित Less Discount के कॉलम में करारनामे की शर्त के अनुसार देय छूट राशि का उल्लेख किया जावेगा तथा विक्रय मूल्य से घटाने के पश्चात् कर योग्य राशि परिगणित होगी।

..02

3. समस्त कर योग्य राशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी (09 प्रतिशत SGST एवं 09 प्रतिशत CGST या 18 प्रतिशत IGST की दर से गणना की जावेगी।

गणना हेतु काल्पनिक विक्रय मूल्य आदि लेकर नीचे गणना की गई है:-

उदाहरणः

क्रमांक	विवरण	दर	राशि
1.	Sale Price		100000.00
2.	Forest Development Cess	3%	3000.00
3.	Restroration Fee		1000.00
4.	Godown Rent		2000.00
5.	Interest (On sale price/godown rent/others)		1000.00
6.	Transfer Fee		1000.00
7.	others		500.00
8.	**Total Amount Before Tax**		**108500.00**
9.	Less - Rebate (if Applicable on Sale Price)	2%	2000.00
10.	**Net Amount Before Tax**		**106500.00**
11.	CGST 9%	9%	9585.00
	SGST 9%	9%	9585.00
	OR		or
	IGST 18% For Interet State Supply	18%	19170.00
12	**Amount After Tax**		**125670.00**

इसी प्रकार क्रेताओ से संकलित की जाने वाली आयकर (टी.सी.एस) की राशि की गणना उपरोक्त उदाहरण में दर्शित अनुक्रमांक (1+2+11) के योग की राशि पर 05 प्रतिशत की दर से किया जाना सूनिश्चित करें।

ज्ञात हो की माह में प्राप्त जी.एस.टी का रिर्टन आगामी माह के 10 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु माह में प्राप्त जी.एस.टी की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में M.S. Excle, Font Arial size 12 में अगले माह के 03 तारीख तक साफ्ट कापी के साथ-साथ पी.डी.एफ कापी संघ मुख्यालय की ई-मेल आई-डी mfpfed.cg@nic.in में भेजा जाना सुनिश्चित करे इसमें किसी प्रकार की विलंब के लिये आप स्वयं जवाबदार होगे। **(जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-03 में संलग्न है)** ध्यान रहे कि विलंब से जी.एस.टी की जानकारी प्राप्त होने पर अधिरोपित होने वाले ब्याज एवं शास्ती के लिये आप स्वयं जवाबदार होगे।

जी.एस.टी की संकलित राशि को जमा करने के संबंध मे अलग से दिशा निर्देश जारी किया जावेगा।

वन विकास उपकर वर्तमान में लिया जावेगा। शासन निर्णय उपरांत आगे कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः- परिशिष्ट-01, 02 एवं 03

मुदित कुमार सिंह 25/7

(मुदित कुमार सिंह)
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/ 8086 **रायपुर, दिनांक 25/07/2017**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1) **प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,** वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2) **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक,** वन वृत्त, छत्तीसगढ़

संलग्नः- परिशिष्ट-01, 02 एवं 03

मुदित कुमार सिंह 25/7

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर